सं. 4-6/2017-बीपी-2(कल्याणकारी संस्थान)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 16 मई, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
16-20 बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली- 110001

विषय: **अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017** तक अर्थात् वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही हेतु **कल्याणकारी संस्थान स्कीम** के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

मुझे अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017 तक अर्थात् वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही के लिए कल्याणकारी संस्थान स्कीम के अंतर्गत ।। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा के मासिक आवंटन हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

(टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल(प्रति माह)	गेहूं (प्रति माह)
1	दिल्ली	17.60	27.97
2	गुजरात	0	928.06
3	कर्नाटक	1323.20	567.08
4	केरल	148.55	63.67
5	मणिपुर	22.75	11.86
6	मिज़ोरम	79.44	0
7	राजस्थान	0	42.50
8	तमिल नाडु*	2471.816	0
9	तेलंगाना	2406	0
10	त्रिपुरा	56.67	0
11	पुडुचेरी	22.55	9.67
	कुल	**6548.576**	**1650.81**

*तमिल नाडु राज्य सरकार को खाद्यान्नों का उपर्युक्त आवंटन 4515.499 टन चावल की शेष मात्रा के समायोजन के बाद किया गया है।

2. अप्रैल, 2017 से मई, 2017 के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठान करने की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से क्रमश: 45 और 50 दिनों तक होगी और जून, 2017, से सितम्बर, 2017 के बाद के माह के लिए यह सरकार के तत्काल निर्देश के अनुसार होगी।

3. भारतीय खाद्य निगम उपरोक्त तालिका में प्रत्येक राज्य के सामने किए गए उल्लेख के अनुसार खाद्यान्न (चावल और गेहूं) जारी करेगा। खाद्यान्नों की उक्त मात्रा संबंधित राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न की लागत के पूर्व-भुगतान पर राज्यों को भारतीय खाद्य निगम के नजदीकी गोदाम / डिपो से जारी की जाएगी।

4. भारतीय खाद्य निगम अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश दिए जाएं और इस विभाग को भी तदनुसार सूचित किया जाए।

भवदीय,

असित

(असित हलदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1. सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, तमिल नाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सरकार से अनुरोध है कि खाद्यान्न वैधता अवधि के भीतर उठाए जाएं और राज्य के वास्तविक लाभार्थियों/छात्रावासों/कल्याण/चेरीटेबल संस्थानों को वितरित किया जाए । स्कीम के अंतर्गत अक्टूबर, 2017 से मार्च 2018 के लिए आबंटन, वर्ष 2016-17 की दूसरी छमाही के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रफार्मा जीएफआर 19-ए में संबंधित खाद्य सचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में खाद्यान्नों का आवंटन नहीं किए जाने की जिम्मेदारी पूर्णतया राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की होगी।

2. महा प्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

3. संचलन-1/नीति-1/अवर सचिव(बीपी-I)/एफ़सी लेखा/गार्ड फाईल ।